न्यायालय : प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक– 320 **शिवपुरी दिनांक–31.08.2026**

–:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::–

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म0प्र0 **नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **सितम्बर–अक्टूबर, 2026** में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाती हूं :–

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह सितम्बर–अक्टूबर 2026 के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1.	सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	शिवपुरी	06-09-2026
2.	श्री धर्मवीर सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	शिवपुरी	04-09-2026 05-09-2026
3.	श्रीमती आकांक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	13-09-2026 06-09-2026 10-10-2026 11-10-2026
4.	श्री भूपेंद्र यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	04-09-2026 05-09-2026 14-09-2026 17-10-2026 18-10-2026
5.	श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	25-09-2026 (स्थानीय अवकाश) 02-10-2026 03-10-2026 04-10-2026
6.	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	20-09-2026 25-10-2026

7.	श्री रज्नेश पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	27-09-2026 19-10-2026 20-10-2026 21-10-2026
8.	श्री विकास विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	04-09-2026 05-09-2026 06-09-2026 10-10-2026 11-10-2026 17-10-2026 25-10-2026
9.	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	20-09-2026 27-09-2026 18-10-2026 19-10-2026 20-10-2026 21-10-2026
10.	सुश्री दीक्षा अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	13-09-2026 14-09-2026 25-09-2026 (स्थानीय अवकाश) 02-10-2026 03-10-2026 04-10-2026
11.	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	कोलारस	04-09-2026 05-09-2026 06-09-2026
12.	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	13-09-2026 14-09-2026 25-09-2026 (स्थानीय अवकाश) 20-09-2026 02-10-2026 03-10-2026 04-10-2026 17-10-2026 18-10-2026

			25-10-2026
13.	सुश्री काजल नायक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	04-09-2026 05-09-2026 06-09-2026 27-09-2026 10-10-2026 11-10-2026 19-10-2026 20-10-2026 21-10-2026
14.	सुश्री अंजना यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी	खनियाधाना	04-09-2026 05-09-2026 06-09-2026 25-09-2026 (स्थानीय अवकाश) 17-10-2026 18-10-2026 19-10-2026 20-10-2026 21-10-2026 25-10-2026
15.	सुश्री मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी	खनियाधाना	13-09-2026 14-09-2026 20-09-2026 27-09-2026 02-10-2026 03-10-2026 04-10-2026 10-10-2026 11-10-2026

नोट :–

01. जिला मुख्यालय शिवपुरी पर श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी एवं तहसील कोलारस पर श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोलारस के दिनांक 07.09.2026 को बाल देखभाल अवकाश (सी.सी.एल.) से उपस्थित होने पर उपरोक्त वर्णित रिमांड ड्यूटी के

अतिरिक्त आगामी सार्वजनिक अवकाश के संबंध में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील कोलारस हेतु रिमांड ड्यूटी आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

02. रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट की उक्त दिनांक की मुख्यालय अनुमति स्वीकृत नहीं की जायेगी, जब तक कि अत्यधिक अनिवार्य परिस्थिति न हो। यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।

03. माह **सितम्बर–अक्टूबर 2026** में किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किये जाने की दशा में तथा पूर्व से घोषित ऐसे स्थानीय अवकाश बावत् या अन्य किसी प्रकार के अवकाश बाबत् जिसके बारे में इस आदेश में उल्लेख नहीं हो सका है, उसके संबंध में जिला न्यायालय शिवपुरी में उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन सुश्री प्रिया शर्मा, जे0एम0एफ0सी0 शिवपुरी के द्वारा, न्यायालय कोलारस में श्री राहुल दुबे, जे0एम0एफ0सी0 कोलारस द्वारा, न्यायालय करैरा में श्री रज्नेश पाल, जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा, न्यायालय पिछोर में श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा, न्यायालय खनियाधाना में श्रीमती अंजना यादव जे0एम0एफ0सी0 खनियाधाना अथवा तहसील पिछोर में उपलब्ध मजिस्ट्रेट द्वारा एवं न्यायालय पोहरी में सुश्री अंजली पटेल, जे0एम0एफ0सी0 पोहरी के द्वारा किया जावेगा।

04. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करते हैं एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

05. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक

मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।

06. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा एवं उक्त दौरान उस न्यायिक मजिस्ट्रेट का समस्त स्टाफ उपस्थित रहेगा।

07. रिमांड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट के लिये यह आवश्यक होगा कि अर्जेन्ट कार्य अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति में वे ड्यूटी दिनांक को आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें।

31/8/26

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

पृष्ठांकन क्र0823. दिनांक 02.09.2026

प्रतिलिपि :–(ईमेल–मेसेज द्वारा)

01. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी / करैरा / पिछोर / कोलारस / पोहरी / खनियाधाना की ओर पालनार्थ प्रेषित।

02. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, शिवपुरी / करैरा / पिछोर / पोहरी / कोलारस / खनियाधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर समस्त थाना प्रभारियों को संसूचित करने बाबत्।

04. निज सहायक, न्यायालय मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05. जिला / सहायक अभियोजन अधिकारी, शिवपुरी / करैरा / पिछोर / पोहरी / कोलारस / खनियाधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06. सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम शिवपुरी की ओर से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2/9/26

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.